न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी), नाथद्वारा, जिला राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी : निशा R.A.S.

प्रकरण संख्या : 97/2019 प्रार्थना पत्र

एच.जी. लग्जरी होटल प्रा.लि. पंचवटी, रातानाडा, जोधपुर।

––प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार नाथद्वारा

––विपक्षी

प्रार्थना पत्र धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित : 1. श्री ईश्वर सिंह सामोता, अधिवक्ता प्रार्थी।

2. पेरोकार सरकार उपस्थित।

: : आदेश : :

दिनांक :– 03.09.2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि राजस्व ग्राम उषाण तहसील नाथद्वारा के आराजी सं. 1085, 1086, 1087, 1088, 1092, 1093, 1094, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1109, 1110, 1111, 4034/1087 कुल किता 20 कुल रकबा 26–05 बीघा एवं राजस्व ग्राम घाटी का मठ तहसील नाथद्वारा के आराजी सं. 315/276 रकबा 5–00 बीघा, आराजी सं. 314/276 रकबा 5–00 बीघा मे से 2/3, आराजी सं. 311/276 रकबा 5–00 बीघा, आराजी सं. 316/276 रकबा 5–00 बीघा, आराजी सं. 313/274 रकबा 5–00 बीघा पर जाने के रास्ता कायम करने हेतु निवेदन किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी पेरोकार सरकार द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रस्तावित रास्ता सरकारी मिल्कियत की राजस्व ग्राम घाटी का मठ के आराजी सं. 276 का रकबा 40–10 बीघा मे से 2–04–06 बीघा एवं राजस्व ग्राम उषाण के आराजी सं. 1096 रकबा 39–10 बीघा मे से 0–19–06 बीघा क्षेत्रफल रास्ता कायम करने हेतु प्रस्तावित है। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। प्रकरण मे न्याय निर्णयन हेतु तहसीलदार नाथद्वारा से निम्न बिन्दुओ की रिपोर्ट मंगवाई। जिस पर बिन्दुवार निर्णय इस प्रकार है:–

उपखण्ड अधिकारी
नाथद्वारा, जिला- राजसमन्द

1. क्या प्रार्थी खातेदार की अपनी खातेदारी भूमि मे जाने का अन्य कोई रास्ता नही है तथा इसकी आत्यन्तिक आवश्यकता है?

   प्रकरण मे तहसीलदार नाथद्वारा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि मे जाने का अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही है।

2. क्या प्रार्थी खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि मे जाने का प्रस्तावित रास्ता न्यूनतम दूरी वाला है?

   प्रकरण मे तहसीलदार नाथद्वारा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार पहाडी भाग होने से रास्ता स्थिति के अनुसार टेडा मेडा निकाला गया है सीधा पहाडी भाग होने से नही निकाला गया है यह सबसे न्यूनतम दूरी का रास्ता होना बताया है।

3. यदि प्रार्थी खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि मे जाने का प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य न्यूनतम दूरी वाला रास्ता उपलब्ध हो सकता है तो व प्रस्तावित करे?

   प्रकरण मे तहसीलदार नाथद्वारा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार उक्त प्रस्तावित रास्ते के अलावा इससे न्यूनतम दूरी का कोई रास्ता नही होना बताया है।

4. प्रस्तावित रास्ते मे जाने वाली भूमि का रकबा, किस्म तथा वर्तमान डी. एल.सी. दर अनुसार मूल्यांकन प्रस्तुत करे?

   प्रकरण मे तहसीलदार नाथद्वारा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम घाटी का मठ मे डीएलसी प्रतिबीघा 134280 का दोगुना 268560 अर्थात् 02–04–06 बीघा का गणन अनुसार राशि 5,94,860/– रूपये ग्राम उषाण की डीएलसी प्रतिबीघा 1,60,690 रूपये का दोगुना 321,280/– रू. रकबा 0–19–06 बीघा की राशि 3,10,160/– रू. बनते है, कुलिया राशि 9,05,020/– अक्षरे नो लाख पांच हजार बीस रूपये बनता है।

उपरोक्त विवेचन एवं बिन्दुवार निष्कर्ष के आधार पर प्रार्थीगण अपनी आराजीयात मे आने जाने हेतु विपक्षीगण की राजस्व ग्राम घाटी का मठ के आराजी सं. 276 का रकबा 40–10 बीघा मे से 2–04–06 बीघा एवं राजस्व ग्राम उषाण के आराजी सं. 1096 रकबा 39–10 बीघा मे से 0–19–06 बीघा क्षेत्रफल मे से रास्ता चाह रहे है। इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण के आने जाने के लिए अन्य कोई रास्ता नही है। चूंकि तहसीलदार नाथद्वारा द्वारा प्रस्तावित अपनी रिपोर्ट मे जो रास्ता प्रस्तावित किया है इसके अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता नही होने से खातेदार को आने–जाने के लिये सशुल्क रास्ता उपलब्ध कराया जाना न्यायहित में आवश्यक

उपखण्ड अधिकारी
नाथद्वारा, जिला- राजसमन्द

है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि राजस्व ग्राम घाटी का मठ के आराजी सं. 276 का रकबा 40–10 बीघा मे से 2–04–06 बीघा एवं राजस्व ग्राम उषाण के आराजी सं. 1096 रकबा 39–10 बीघा मे से 0–19–06 बीघा भूमि जो नक्शा ट्रेस में अंकित प्रस्तावित रास्ता प्रार्थी के खातेदारी की भूमि में आने–जाने के लिए रास्ता कायम किया जावें। इस प्रकार रास्ते मे आने वाली भूमि राजस्व ग्राम घाटी का मठ मे डीएलसी प्रतिबीघा 134280 का दोगुना 268560 अर्थात् 02–04–06 बीघा का गणन अनुसार राशि 5,94,860/– रूपये ग्राम उषाण की डीएलसी प्रतिबीघा 1,60,690 रूपये का दोगुना 321,280/– रू. रकबा 0–19–06 बीघा की राशि 3,10,160/– रू. बनते है, कुलिया राशि 9,05,020/– (अक्षरे नो लाख पांच हजार बीस रूपये) बनता है जो राजकोष में जमा करवाने पर राजस्व रेकार्ड में किस्म रास्ता अंकित किये जाने का आदेश दिया जाता है। यह रास्ता केवल आने जाने हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग–उपभोग हेतु खुला रहेगा। नक्शा ट्रेस निर्णय का भाग रहेगा। इसी अनुसार रास्ता कायम कर पालना पेश करे। पालना हेतु तहसीलदार नाथद्वारा को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 03.09.2019 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

3.9.19

(निशा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
नाथद्वारा, जिला राजसमन्द